



प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखानुदान (माह अप्रैल से जुलाई तक) के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 2058-लेखन सामग्री और मुद्रण (राजस्व लेखा) 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान (मुख्यालय) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्षक 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण (राजस्व लेखा) 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान (मुख्यालय) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट प्राविधानित धनराशि रू0 57,44,23,000/- (रूपये सत्तावन करोड़ चौवालीस लाख तेईस हजार मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम 04 माह (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए रू0 18,95,59,590/- (रूपये अठारह करोड़ पंचानबे लाख उनससठ हजार पाँच सौ नब्बे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति उल्लिखित विवरण के अनुसार नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- 1- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में व्यवस्थित/स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 जो समस्त विभागाध्यक्षों को भी प्रेषित है, में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य/ प्राप्त कर ली जाय।
- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षक: 2058000010300 (अधिष्ठान (मुख्यालय))

क्र० सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	01 वेतन	3,30,00,000 (रुपये तीन करोड़ तीस लाख मात्र)
2	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	02 मजदूरी	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
3	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	03 मंहगाई भत्ता	1,22,10,000 (रुपये एक करोड़ बाईस लाख दस हजार मात्र)
4	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	04 यात्रा व्यय	2,31,000 (रुपये दो लाख इकतीस हजार मात्र)
5	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
6	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	06 अन्य भत्ते	1,65,000 (रुपये एक लाख पैंसठ हजार मात्र)
7	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	07 मानदेय	16,500 (रुपये सोलह हजार पांच सौ मात्र)
8	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	08 कार्यालय व्यय	1,98,000 (रुपये एक लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)
9	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	9,900 (रुपये नौ हजार नौ सौ मात्र)
10	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं	99,000 (रुपये निन्यानवे हजार मात्र)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			उपकरण	
11	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	13 टेलीफोन पर व्यय	52,800 (रुपये बावन हजार आठ सौ मात्र)
12	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	92,400 (रुपये बयान्वे हजार चार सौ मात्र)
13	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
14	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	9,900 (रुपये नौ हजार नौ सौ मात्र)
15	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	6,600 (रुपये छह हजार छह सौ मात्र)
16	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	29 अनुरक्षण	1,98,000 (रुपये एक लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)
17	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	39 औषधि तथा रसायन	66,000 (रुपये छियासठ हजार मात्र)
18	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	42 अन्य व्यय	13,200 (रुपये तेरह हजार दो सौ मात्र)
19	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	13,86,00,000 (रुपये तेरह करोड़ छियासी लाख मात्र)
20	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	66,000 (रुपये छियासठ हजार मात्र)
21	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	45 अवकाश यात्रा व्यय	66,000 (रुपये छियासठ हजार मात्र)
22	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,98,000 (रुपये एक लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)
23	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49,500 (रुपये उनचास हजार पांच सौ मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

24	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	49 चिकित्सा व्यय	6,60,000 (रुपये छह लाख साठ हजार मात्र)
25	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	51 वर्दी व्यय	16,500 (रुपये सोलह हजार पांच सौ मात्र)
26	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	55 मकान किराया भत्ता	34,03,290 (रुपये चौतीस लाख तीन हजार दो सौ नब्बे मात्र)
27	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			18,95,59,590/- (रुपये अठारह करोड़ पंचानबे लाख उनसठ हजार पांच सौ नब्बे मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ओम प्रकाश यादव
उप सचिव ।

संख्या-2/2022/492 /001/77-2002-002-1-2021, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 6- नोडल अधिकारी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव
उप सचिव ।